- सामाजिक कार्य के क्षेत्र में और महिलाओं के मामलों के लिए प्रतिबद्ध प्रख्यात महिला इस समिति की अध्यक्ष होगी।
- दो सदस्य, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, जो महिलाओं के मामले के लिए प्रतिबद्ध या यौन उत्पीड़न से परिचित हो तथा किसी गैर सरकारी संस्था से हो।
- एक सदस्य प्रखण्ड/तालुका/तहसील एवं जिला में वार्ड/नगर पालिका में कार्यरत महिलाओं में से होगी।
- संबद्ध अधिकारी समाज कल्याण या महिला एवं शिशु विकास विभाग से होंगे।

परिवाद की जाँच

- कानून की धारा 10 के प्रावधानों के अधीन उत्तरदाता के संबंधित संस्थागत या विभाग के सेवा नियमावली के अनुसार होगी।
- यदि प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो समिति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 509 के अंतर्गत सात दिन के अंदर पुलिस को प्रतिवेदित करेगी।
- जाँच के उद्देश्य से आंतरिक शिकायत समिति की शक्तियाँ सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल कोर्ट में विहित शक्तियों के समान निम्नलिखित होगी:
  - ✓ किसी व्यक्ति को सम्मन जारी करना, उपस्थित करना तथा शपथ पर जाँच करना।
  - ✓ दस्तावेजों की संकलन एवं निर्माण।
  - ✓ कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाये।
  - ✓ जाँच शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर जाँच करना।
  - ✓ जाँच पूर्ण होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर जाँच रिपोर्ट नियोजक या स्थानीय समिति को प्रदान किया जाएगा, जिसकी प्रति दोनों पक्षों को उपलब्ध करायी जाएगी।

हमें ऐसा वातावरण तैयार करना है, जिससे कि महिलाओं को कार्यस्थल में भेदभाव का सामना न करना पड़े।

Conceptualized, Designed & Printed By: Ph.: 9386511055

महिला विकास निगम, बिहार द्वारा 'स्वस्थ' परियोजना अंतर्गत जनहित में जारी
सहयोगः निर्देश, मुजफ्फरपुर, बिहार

यौन उत्पीड़न

अत्याचारी से मुँह मोड़ो
अब तुम अपनी चुप्पी तोड़ो

यौन उत्पीड़न

किसी भी तरह का भेदभाव, बहिष्कार, अपमानजनक या अनादरपूर्ण टिप्पणी या कथन जो किसी की गोपनीयता और गरिमा का उल्लंघन करता है यह यौनिक उत्पीड़न कहलाता है, वह अनुचित और गैरकानूनी है। यौनिक उत्पीड़न महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होनेवाला गंभीर अपराध है। यौनिक हिंसा के अंतर्गत ये सभी अनचाहे व्यवहार आते हैं: शारीरिक स्पर्श, यौनिक संवाद, यौन इच्छापूर्ती का माँग या अनुरोध, अश्लील फिल्म या पुस्तक दिखाना, किसी तरह का मौखिक या अमौखिक आचरण जो यौनिक प्रकृति का हो, जिससे आप परेशान होते हैं, आपको चोट पहुँचती है या हीन भावना महसूस करते हैं।

ऐसे में लड़कियों या महिलाओं को क्या करना चाहिए?

- यौन उत्पीड़न को पहचानें।
- हिम्मत से ना कहना सीखें।
- अपनी डर को दूसरे के सामने प्रकट ना करें।
- सतर्क रहें और आत्मविश्वासी बनें।
- मदद माँगने में हिचकिचाएँ नहीं।
- घटना की रिपोर्ट दर्ज करें।
- अपने साथ हुए हिंसा के लिए खुद को जिम्मेवार ना ठहराएँ।

कानूनी प्रावधान:

- धारा 294के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करता है, अश्लील गाने या अश्लील शब्द का इस्तेमाल करता है, ऐसे में तीन महिने का कारावास, जुर्माना या दोनों हो सकता है।

- धारा 354 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति महिला की शील भंग करने के इरादे से अनचाहा शारीरिक संपर्क या यौनिक फायदा उठाता है, यौनिक संपर्क के लिए निवेदन करता हो, अश्लील या यौनिक टिप्पणी करता हो, उसे अश्लील फोटो दिखाता हो, ऐसे में उसे कम से कम 3 साल का कारावास, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।

- धारा 509– किसी महिला के शील भंग करने की इरादे से कोई शब्द उच्चारित करना या भाव–भंगिमा बनाना।

  ✓ किसी महिला को नग्न करने के इरादे से उस पर आपराधिक हमला करना। **सजा:** 3 साल से 7 साल तक की कैद या जुर्माना।

  ✓ किसी महिला की नीजि क्षणों या कोई क्रिया करते हुए उसकी तस्वीर खींचना। **सजा:** 1 साल से 3 साल तक की कैद। दोबारा यही अपराध करने पर 7 साल तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकता है।

  ✓ किसी महिला का पीछा करना, उससे संपर्क करने की कोशिश करना या इंटरनेट, ई–मेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निगरानी करना। **सजा:** 3 साल की कैद, दोबारा यही अपराध करने पर 5 साल तक की कैद या जुर्माना दोनों हो सकता है।

कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार अवांछित रूप से या किसी भी प्रकार से :

- शरीर को स्पर्श करना या कोशिश करना,
- यौन–संबंध स्थापित करने की माँग या अनुरोध,
- यौन–रसात्मक मंतव्य या मजाक करना,
- अश्लील पुस्तक या तस्वीर दिखाना,
- शारीरिक, मौखिक या भाषागत रूप से ,
- अन्य किसी भी प्रकार का यौन–आचरण,

यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है।

कहाँ/किसके लिए लागू हैं ये प्रावधान?

संगठित अथवा असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में, सरकारी, अर्द्धसरकारी अथवा गैर–सरकारी संस्थाओं में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल इत्यादि सभी प्रतिष्ठानों में, चाहे वह सरकारी या गैरसरकारी अथवा निजी मालिकाना के अन्तर्गत हो।

कार्यस्थल किसे कहते हैं?

कार्यस्थल का मतलब सिर्फ चारदीवार से घिरा कार्यालय, कचहरी या कल–कारखाना ही नहीं है। कार्य के सिलसिले में जहाँ–जहाँ जाना पड़ता है, वे सब कार्यस्थल के अंतर्गत आते हैं।

किन पर प्रभावी है?

पद या रोजगार कोई भी हो, जो वेतनभोगी हैं, चाहे फुलटाईम हों या पार्ट टाईम, जो स्वेच्छा से बिना ठेके पर काम कर रही हैं, वेतन लेकर काम करती हैं, सभी महिलाएँ इस अधिनियम का लाभ उठा सकती हैं। सबसे निचले पद से लेकर सबसे ऊँचे पद पर कार्यरत महिला कर्मचारी के मामले में यह अधिनियम प्रभावी है।

यौन उत्पीड़न परिवाद की शिकायत

- कोई व्यथित महिला यौन उत्पीड़न का परिवाद घटना की तारीख से तीन माह के अंदर लिखित में आंतरिक शिकायत समिति अथवा स्थानीय शिकायत समिति को कर सकती है।

- व्यथित महिला के शारीरिक, मानसिक असमर्थता अथवा मृत्यु की स्थिति में अन्य व्यक्ति उसके तरफ से परिवाद दाखिल कर सकता है।

स्थानीय परिवाद समिति का गठन

- जिस कार्यस्थल पर 10 से कम कर्मचारी होने के कारण आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं किया गया है अथवा परिवाद स्वयं नियोजक के विरूद्ध है, वहाँ हर जिला अधिकारी संबंधित जिला में समिति का गठन करेगा जो स्थानीय परिवाद समिति के रूप में ज्ञात होगा।